न्यायालय मा० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 374/18 **तारीख रजू** 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का देवरा ------- बनाम श्री हरिराम/जगदीश पुत्र अतरसिंह ----जाति जाट निवासी शोलावड़ा तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/03/2018

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री हरिराम, जगदीश ने ग्राम शोलावड़ा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.01 **किस्म** गै०मु०रास्ता **फसल रबि / ~~खरीफ~~** संवत 2074 में गेहूं कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट **पटवारी अतिक्रमण** की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.01 **किस्म** गै०मु०रास्ता वाके ग्राम शोलावड़ा से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.32 का 50 गुणा 16 रुपये शस्ति से दण्डित किया जाता है तथा इस पर खडी फसल गेहूं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

मा०ग (हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 120 पर
वर्ष 2017-18 ... नीलामी
की राशि ... 16 रु ...
की जमा कायमी की गई ।
दिनांक 15/3/18 (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा